



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 2018/भाद्र 9, 1940

No. 297]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 2018/BHADRA 9, 1940

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

विषय: सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017- दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों को अधिसूचित करने की बाबत)

संदर्भ: (i) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) का दिनांक 15.06.2017 का आदेश सं. पी-45021/2/2017-बीई-II

(ii) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) का दिनांक 28.05.2018 का आदेश सं. पी-45021/2/2017-पीपी(बीई-II)

सं.18-10/2017- आईपी सरकार ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के दिनांक 15.06.2017 के आदेश सं. पी-45021/2/2017-बीई-II द्वारा सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 जारी किया है जिसे आगे दिनांक 28.05.2018 के आदेश सं. पी-45021/2/2017-पीपी(बीई-II)द्वारा संशोधित किया गया है ताकि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा सके तथा आय एवं रोजगार को बढ़ाने की दृष्टि से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण तथा उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

2. डीआईपीपी ने दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं अथवा कार्यों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रावधानों को लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग को नोडल विभाग के रूप में चिन्हित किया है।

3. तदनुसार, उपर्युक्त सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 (जिसे आगे पीपीपी-एमआईआई आदेश कहा गया है) को प्रोत्साहन देते हुए और इस विभाग की दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 की प्राथमिकता बाजार अभिगम (पीएमए) संबंधी नीति की अधिसूचना तथा दिनांक 11 जनवरी, 2017 की मूल्य संवर्धन मापदंड संबंधी

अधिसूचना के अधिक्रमण में दूरसंचार विभाग एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि उपर्युक्त आदेश इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों के लिए पूरी तरह लागू होगा।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अधिसूचना उन सभी केन्द्रीय स्कीमों (सीएस)/केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों (सीएसएस), जिनके लिए राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा अधिप्रापण किया जाता है, पर लागू होगी यदि उस परियोजना अथवा स्कीम को पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) परियोजनाओं सहित भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया हो।
5. पीपीपी-एमएमआई आदेश के खंड 2, 3 और 11 के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने क्रय प्राथमिकता हेतु घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से सरकारी अधिप्राप्ति के लिए दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं और कार्यों की एक सूची तैयार की है। दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं तथा कार्यों की सूची का ब्यौरा, मेक इन इंडिया को प्राथमिकता (पीएमआई) और इनकी घरेलू सामग्री (एलसी) सहित, **तालिका-क** में दिया गया है। घरेलू आपूर्तिकर्ता को भारत में घटक स्तर से उपकरण का विनिर्माण करना होगा और साथ ही घरेलू सामग्री में वृद्धि करने के लिए कच्चे माल, घटकों एवं भागों के अधिप्रापण हेतु घरेलू विक्रेताओं को तैयार भी करना होगा। विभाग ने घरेलू सामग्री के रूप में योग्यता प्राप्त करने संबंधी इनपुट के लिए शर्तों को निर्धारित किया है और कुल घरेलू सामग्री में से प्राप्त घरेलू सामग्री के रूप में डिजाइन तैयार करने की अधिकतम सीमा का ब्यौरा क्रमशः **तालिका-ख** और **तालिका-ग** में दिया गया है।
6. पीपीपी-एमआईआई आदेश के खंड 3(क) और 11 के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि **तालिका-क** में उल्लिखित दूरसंचार उत्पाद, सेवाओं एवं कार्यों के लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता और पर्याप्त घरेलू प्रतिस्पर्धा मौजूद है। अधिप्रापण संस्थाएं घरेलू सामग्री (एलसी) के मापदंड, जैसा कि **तालिका-क** में प्रत्येक मद के लिए निर्धारित है, को पूरा करते हुए, अपने दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों की आवश्यकताओं के एक न्यूनतम प्रतिशत की अधिप्राप्ति, जैसा कि मेक इन इंडिया को प्राथमिकता (पीएमआई) में उल्लेखित है, के अनुसार करेंगी।
7. निर्धारित स्तर से कम न्यूनतम घरेलू सामग्री को कम करने संबंधी अधिकारों के बारे में पीपीपी-एमआईआई आदेश के खंड 14(क) को भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडलों अथवा स्वायत्त निकायों से वापस ले लिया गया है। यह अधिकार केवल पीपीपी-एमआईआई आदेश के खंड 16 के अंतर्गत गठित की गई स्थायी समिति के पास ही होगा।
8. पीपीपी-एमआईआई आदेश के खंड 9(क) के अनुसार घरेलू आपूर्तिकर्ता निविदा, बोली लगाने के समय अथवा आवेदन करते समय **प्रपत्र-1** में स्व-प्रमाणपत्र देगा जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया होगा कि प्रस्तावित मद न्यूनतम घरेलू सामग्री को पूरा करती है तथा साथ ही आपूर्तिकर्ता उन स्थानों का ब्यौरा देगा जिनमें घरेलू मूल्य संवर्धन किया जाता है।
9. **तालिका-क** में यथा उल्लिखित प्रत्येक चिन्हित उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों का अनुपालन नवीनतम टीईसी जीआर/आईआर से किया जाएगा बशर्ते इन जीआर/आईआर को जारी किया गया हो। अधिप्रापण संस्था यह सुनिश्चित करे कि पूर्व अनुभव खंड इतना अधिक प्रतिबंधक न हो कि दूरसंचार उत्पाद, सेवाओं अथवा कार्यों के सभी घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को बाहर कर दे। केन्द्रीय सार्वजनिक अधिप्रापण पोर्टल (सीपीपीपी) पर निविदाओं को "अपलोड" करने से पहले इस आदेश के अनुपालन को प्रमाणित करने की सभी अधिप्रापण अधिकारियों की आवश्यकता होगी। उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध प्रतिबंधक निविदा शर्तों को शामिल करते हैं अथवा अन्यथा पीपीपी-एमआईआई आदेश के प्रावधानों की अवज्ञा करते हैं।
10. बोलीदाता द्वारा जीआर/आईआर अथवा अन्य राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के संबंध में भारतीय निकायों अर्थात् टीईसी/टीएसईसी, एसटीक्यूसी, बीआईएस अथवा इनके द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्राप्त प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। **तालिका-क** में उल्लिखित किसी भी दूरसंचार उत्पाद, सेवा और कार्य के लिए अधिप्रापण कंपनी द्वारा बोलीदाता को अनिवार्य रूप से किसी भी विदेशी योग्यता संबंधी विनिर्देशों की अर्हता प्राप्त करना अथवा किसी भी विदेशी परीक्षण/सुरक्षा प्रयोगशालाओं द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट नहीं करना चाहिए।
11. दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों में घरेलू सामग्री के बारे में किसी बोलीदाता के दावे के विरुद्ध अधिप्रापण कंपनी अथवा संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है अथवा यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या

अधिप्रापित किया जा रहा दूरसंचार उत्पाद, सेवा अथवा कार्य इस अधिसूचना के अंतर्गत कवर की जाने वाली मद हैं अथवा दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों के संबंध में कोई शंका होती है तो ऐसे मामलों को दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र (टीईसी), दूरसंचार विभाग को अथवा दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी लेखापरीक्षक को भेजा जाएगा।

12. पीपीपी-एमआईआई आदेश के खंड 9(घ) के अनुसार, शिकायतों और स्व-घोषणापत्रों तथा लेखापरीक्षकों/लेखाकारों के प्रमाणपत्रों का स्वतंत्र रूप से आकास्मिक सत्यापन करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया है:

- | | | |
|------|---|-----------|
| I. | उप महानिदेशक (दूरसंचार आयोग), टीईसी नई दिल्ली | - अध्यक्ष |
| II. | निदेशक (तकनीकी), सी-डॉट | - सदस्य |
| III. | अध्यक्ष द्वारा सहयोगित कोई भी अन्य सदस्य | - सदस्य |
| IV. | महानिदेशक, टीईपीसी | - सदस्य |
| V. | निदेशक (वित्त), दूरसंचार विभाग | - सदस्य |
| VI. | निदेशक, टीईसी | - संयोजक |

13. यदि घरेलू रूप से दूरसंचार उत्पाद, सेवाओं अथवा कार्यों की आपूर्ति में घरेलू सामग्री (एलसी) के बारे में किसी बोलीदाता के दावे के विरुद्ध अधिप्रापण संस्था अथवा संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसे उपर्युक्त पैरा के अनुसार समिति को भेजा जाएगा। समिति को बोलीदाता के द्वारा दावा की गई घरेलू सामग्री के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित प्राप्त शिकायतों का निपटान शिकायत प्राप्ति की तारीख से यथा-संभव 4 सप्ताह के भीतर कर देना चाहिए।

14. पीपीपी-एमआईआई आदेश के खंड 9 (ड.) के अनुसार, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि न्यूनतम शिकायत शुल्क 2 लाख रु. अथवा अधिप्राप्त किए जाने वाले घरेलू रूप से आपूर्ति किए गए दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों के मूल्य का 1 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रु. तक), इनमें से जो भी अधिक हो, का होगा जिसका भुगतान "डिमांड-ड्राफ्ट" अथवा "ऑनलाइन" किया जाएगा और जिसे मामले के अनुसार दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र (टीईसी) के पास अथवा अन्य तीसरे पक्ष की परीक्षण प्रयोगशालाओं अथवा शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के साथ टीईसी द्वारा मान्यता-प्राप्त तकनीकी लेखापरीक्षकों के पास जमा किया जाएगा। यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायत शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। यदि शिकायत आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः सही पाई जाती है तो शिकायतकर्ता का जमा शुल्क बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

15. दूरसंचार विभाग, दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं और कार्यों संबंधी इस अधिसूचना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए नोडल विभाग होगा। दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं और कार्यों के घरेलू विनिर्माण के संबंध में प्रतिबंधक तथा भेदभावपूर्ण निबंधन एवं शर्तों की पुनरीक्षा करने के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ एक समिति गठित की गई है:

- | | | |
|------|-------------------------|--------------|
| I. | संयुक्त सचिव (दूरसंचार) | - अध्यक्ष |
| II. | उप महानिदेशक (आईसी) | - उपाध्यक्ष |
| III. | टीईसी का एक प्रतिनिधि | - सदस्य |
| IV. | सी-डॉट का एक प्रतिनिधि | - सदस्य |
| V. | निदेशक (आईपी) | - सदस्य सचिव |

16. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और संशोधित होने तक वैध रहेगी।

तालिका - क

पीएमआई और एलसी के साथ दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं और कार्यों की सूची

क्र.सं.	दूरसंचार उत्पाद, सेवा और कार्य	वर्ष		वर्ष	
		2018-19		2019-20 और उसके बाद	
		पीएमआई	एलसी	पीएमआई	एलसी
1.	एन्क्रेप्शन/यूटीएम प्लेटफॉर्म (टीडीएम और आईपी)	100	65	100	65
2.	आई/एमपीएलएस कोर रूटर्स/एज/एंटरप्राइज़ रूटर्स	50	55	50	60
3.	मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क उपकरण	50	55	50	60
4.	इथरनेट स्विचिज़ (एल2 और एल3), हब्स	50	55	50	60
5.	आईपी आधारित सॉफ्ट स्विचिज़, आईएमएस, एकीकृत संचार प्रणालियां	100	55	100	60
6.	वायरलेस/वायरलाइन पीएबीएक्स/आईपी पीबीएक्स एवं/मीडिया गेटवे	100	65	100	65
7.	सीपीई (वाई-फाई अभिगम बिंदु और रूटर्स, मीडिया कन्वर्टर सहित), 2जी/3जी/4जी/एलटीई मोडम, लीज्ड-लाइन मोडम, एनएफवी/एसडीएन सीपीई	100	45	100	50
8.	सेट-टॉप बॉक्स	50	50	50	55
9.	एसडीएच/कैरियर-इथरनेट/एमपीएलएस-टीपी/पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट उपकरण/पीटीएन/ओटीएन प्रणालियां	100	65	100	65
10.	डीडब्ल्यूडीएम/सीडब्ल्यूडीएम प्रणाली	50	55	50	60
11.	जीपीओएन/एक्सजीएस-पीओएन, एनजी-पीओएन2 उपकरण (ओएनटी और ओएलटी सहित)	100	55	100	60
12.	ऑप्टिकल/एसडीएच/पीडीएच क्रॉस कनेक्ट्स/ओटीएन क्रॉस-कनेक्ट्स और ऑप्टिकल एमयूएक्स, ओएडीएम	100	55	100	60
13.	ग्रामीण एवं आपदा प्रतिक्रिया, मैक्रो एवं माइक्रो बीटीएस, स्मॉल सेलों, एनआईबी, सी-आरएएन बीबीयू और आरआरएच सहित अपनी विभिन्न व्युत्पत्तियों के साथ छोटे आकार की 2जी/3जी जीएसएम आधारित बेस स्टेशन प्रणालियां	100	55	100	60
14.	ग्रामीण एवं आपदा प्रतिक्रिया, मैक्रो एवं माइक्रो बीटीएस, स्मॉल सेलों, एनआईबी, सी-आरएएन बीबीयू और आरआरएच सहित अपनी विभिन्न व्युत्पत्तियों के साथ 2जी/3जी जीएसएम आधारित बेस स्टेशन प्रणालियां	50	55	50	60
15.	ग्रामीण एवं आपदा संचार, मैक्रो एवं माइक्रो ईनोडबी, स्मॉल सेलों, ईपीसी, एनआईबी सी-आरएएन बीबीयू और आरआरएच, एलटीई/एलटीई-आर/4.5जी/5जी आधारित ब्रॉडबैंड वॉयरलेस अभिगम प्रणाली (ईनोडबी, जीएनबी, ईपीसी आदि) सहित अपनी विभिन्न व्युत्पत्तियों के साथ छोटे आकार की एलटीई/एलटीई-आर आधारित मोबाइल प्रणालियां	50	55	50	60
16.	ग्रामीण एवं आपदा संचार, मैक्रो एवं माइक्रो ईनोडबी, स्मॉल सेलों,	50	45	50	50

	ईपीसी,एनआईबीसी-आरएएन बीबीयू और आरआरएच, एलटीई/एलटीई-आर/4.5जी/5जी आधारित ब्रॉडबैंड वॉयरलेस अभिगम प्रणालियां (ईनोडबी, जीएनबी, ईपीसी आदि) सहित अपनी विभिन्न व्युत्पत्तियों के साथ एलटीई/एलटीआर आधारित मोबाइल प्रणालियां				
17.	वाई-फाई आधारित ब्रॉडबैंड वॉयरलेस अभिगम प्रणालियां (अभिगम बिंदु, एग्जिशन ब्लॉक, कोर ब्लॉक सहित), एकीकृत ब्रॉडबैंड प्रणालियां	50	50	50	55
18.	माइक्रोवेव रेडियो प्रणाली (आईपी/हाइब्रिड), मोबाइल फ्रंट हॉल बीबीयू और आरआरएच (सीपीआरआई, ईसीपीआरआई, फ्लेक्सई, आरओई, एनजीएफआई)	100	50	100	55
19.	सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड रेडियो, कॉग्निटिव रेडियो प्रणालियां	50	50	50	55
20.	पुनरावर्तक (आरएफ/आरएफ-ओवर-ऑप्टिकल), आईवीएस, और संवितरित एंटीना प्रणाली	100	55	100	60
21.	उपग्रह आधारित प्रणालियां-हब्स, वीसैट आपदा संचार प्रणाली आदि	50	35	50	40
22.	कोपर अभिगम प्रणालियां (डीएसएल/डीएसएलएएम), हाई-स्पीड एक्सडीएसएल (जी. फास्ट)	50	50	50	55
23.	अपनी विभिन्न व्युत्पत्तियों सहित नेटवर्क प्रबंधन प्रणालियां (एनएमएस)	100	65	100	65
24.	परिधि सुरक्षा प्रणालियों सहित सुरक्षा एवं निगरानी संचार प्रणालियां (वीडियो एवं सेंसर आधारित)	100	35	100	40
25.	ऑप्टिकल फाइबर	50	50	50	50
26.	ऑप्टिकल फाइबर केबल	75	50	75	55
27.	टेलीकॉम पॉवर सिस्टम (सोलर पॉवर सहित)	50	50	50	55
28.	टेलीकॉम बैटरीज़ (लीड एसिड एवं लि. ऑयन)	50	50	50	55
29.	आईपी ऑडियो फोन/आईपी वीडियो फोन/एनालॉग एडाप्टर	50	35	50	40
30.	एसडीएन सॉफ्टवेयर नियंत्रक, एनवीएफ और सीएनएफ सॉफ्टवेयर	50	50	50	55
31.	टेलीकॉम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम डाटा केंद्र	50	35	50	40
32.	वांकी-टॉकी एवं मोबाइल रेडियो सहित 2वे एनालॉग/डिजिटल रेडियो	50	50	50	55
33.	वांकी-टॉकी सहित 2वे एनालॉग/डिजिटल रेडियो की बैटरीज़	50	40	50	45
34.	फाइबर निगरानी प्रणाली	50	50	50	55
35.	एम2एम/आईओटी उप प्रणालियां	50	50	50	55
36.	दूरसंचार सेवाएं/कार्य	100	70	100	70

पीएमआई = प्रत्येक वित्त वर्ष में यथा-निर्दिष्ट 'मेक इन इंडिया' के संबंध में दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों के लिए न्यूनतम अधिमानित प्रतिशत (खरीदी जा रही कुल मात्रा का प्रतिशत)

एलसी = प्रत्येक वित्त वर्ष में यथा-निर्दिष्ट 'मेक इन इंडिया' के संबंध में दूरसंचार उत्पादों, सेवाओं अथवा कार्यों के लिए गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सामग्री के कुल प्रतिशत (उत्पादन लागत) के रूप में न्यूनतम घरेलू सामग्री।

तालिका-ख

घरेलू सामग्री के रूप में चुने जाने के लिए जानकारी (इनपुट) प्राप्त करने हेतु दूरसंचार उत्पादों एवं शर्तों के विनिर्माण से संबंधित मुख्य इनपुट/चरण

दूरसंचार उत्पादों विनिर्माण हेतु मुख्य इनपुट/चरण	घरेलू सामग्री के रूप में चुने जाने के लिए इनपुट प्राप्त करने संबंधी शर्तें
1) डिजाइन (क) हार्डवेयर डिजाइन (ख) सॉफ्टवेयर डिजाइन एवं विकास	डिजाइन के लिए अधिकतम घरेलू सामग्री (एलसी) की प्रतिशतता, जिसके लिए भारत में आईपीआर के सृजन हेतु इन-हाउस/देश में खर्च की गई/परिशोधित संसाधन एवं विकास (आर एण्ड डी) लागत के आधार पर दूरसंचार उत्पादों के लिए घरेलू विनिर्माता द्वारा दावा किया जा सकता है। इनका ब्यौरा तालिका-ग में है और इसके लिए निर्धारित शर्तें निम्नलिखित हैं: (क) हार्डवेयर डिजाइन हेतु भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) होना, (ख) सॉफ्टवेयर डिजाइन एवं विकास के लिए भारत में कॉपीराइट होना।
2) घटक (क) एकीकृत इंटीग्रेटेड चिप्स (आईसी) – प्रोसेसर, मेमोरी आदि (ख) सक्रिय घटक – ट्रांसिसटर, डायोड आदि (ग) निष्क्रिय घटक – रिसिसटर्स, कैपसिटर्स, इंडक्टर्स	भारत में विनिर्मित
3) पीसीबी (क) पीसीबी फेब्रिकेशन (ख) घटकों का उपयोग करने वाली पीसीबी आबादी	भारत में विनिर्मित
4) केवल चेसिस आदि (क) चेसिस (ख) केबल (ग) रैक (घ) हीट सिंक (ङ) संलग्नक	भारत में विनिर्मित
5) आरएफ घटक/उप-प्रणाली (क) डुप्लेक्सर्स/फिल्टर्स (ख) एंटीना	भारत में विनिर्मित
6) एसेंबली/एकीकरण/परीक्षण#	तालिका-ग में सूचीबद्ध दूरसंचार उत्पादों के संबंध में एसेंबली/एकीकरण/परीक्षण के लिए घरेलू स्थानीय सामग्री (एलसी) की अधिकतम उच्चतम-सीमा कुल उत्पाद सामग्री के बिल (क्रम सं. 25, 26 और 36 को छोड़कर) की 10 प्रतिशत होगी।
* दूरसंचार उत्पादों में उपर्युक्त कुछ/सभी इनपुट/चरण शामिल हो सकते हैं। गणना करते समय केवल उन्हीं इनपुट/चरणों की गणना की जाएगी जो इन दूरसंचार उत्पादों के विनिर्माण में शामिल हैं।	
# यदि इनकी उप-प्रणाली की प्रणाली को केवल इकट्ठा (एसेंबल)/ एकीकृत/इनका परीक्षण किया जाता है तो वास्तविक घरेलू सामग्री के लिए प्रणाली/उप-प्रणाली की लागत का केवल 10 प्रतिशत तक लिया जाएगा।	

तालिका-ग

दूरसंचार उपकरण के लिए कुल घरेलू सामग्री में से घरेलू सामग्री के रूप में डिजाइन तैयार करने की अधिकतम सीमा

क्र. सं.	दूरसंचार उपकरण का विवरण	कुल घरेलू सामग्री (लोकल कंटेंट) के रूप में डिजाइन की अधिकतम सीमा
1.	एन्क्रिप्शन/यूटीएम प्लेटफॉर्म (टीडीएम और आईपी)	55
2.	आई/एमपीएलएस कोर रूटर्स/एज/एंटरप्राइज़ रूटर्स	40
3.	मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क उपकरण	40
4.	इथरनेट स्विचिज़ (एल2 और एल3), ह्व्स	40
5.	आईपी आधारित सॉफ्ट स्विचिज़, आईएमएस, एकीकृत संचार प्रणालियां	40
6.	वायरलेस/वायरलाइन पीएवीएक्स/आईपी पीवीएक्स एवं/मीडिया गेटवे	45
7.	सीपीई (वाई-फाई अभिगम बिंदु और रूटर्स, मीडिया कन्वर्टर सहित), 2जी/3जी/4जी/एलटीई मोडम, लीज्ड-लाइन मोडम, एनएफवी/एसडीएन सीपीई	30
8.	सेट-टॉप बॉक्स	35
9.	एसडीएच/कैरियर-इथरनेट/एमपीएलएस-टीपी/पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट उपकरण/पीटीएन/ओटीएन प्रणालियां	45
10.	डीडब्ल्यूडीएम/सीडब्ल्यूडीएम प्रणाली	40
11.	जीपीओएन/एक्सजीएस-पीओएन, एनजी-पीओएन2 उपकरण (ओएनटी और ओएलटी सहित)	40
12.	ऑप्टिकल/एसडीएच/पीडीएच क्रॉस कनेक्ट्स/ओटीएन क्रॉस-कनेक्ट्स और ऑप्टिकल एमयूएक्स, ओएडीएम	40
13.	ग्रामीण एवं आपदा प्रतिक्रिया, मैक्रो एवं माइक्रो बीटीएस, स्मॉल सेलों, एनआईबी, सी-आरएएन बीबीयू और आरआरएच सहित अपनी विभिन्न व्युत्पत्तियों के साथ छोटे आकार की 2जी/3जी जीएसएम आधारित बेस स्टेशन प्रणालियां	40
14.	ग्रामीण एवं आपदा प्रतिक्रिया, मैक्रो एवं माइक्रो बीटीएस, स्मॉल सेलों, एनआईबी, सी-आरएएन बीबीयू और आरआरएच सहित अपनी विभिन्न व्युत्पत्तियों के साथ 2जी/3जी जीएसएम आधारित बेस स्टेशन प्रणालियां	40
15.	ग्रामीण एवं आपदा संचार, मैक्रो एवं माइक्रो ईनोडबी, स्मॉल सेलों, ईपीसी, एनआईबी सी-आरएएन बीबीयू और आरआरएच, एलटीई/एलटीई-आर/4.5जी/5जी आधारित ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम प्रणाली (ईनोडबी, जीएनबी, ईपीसी आदि) सहित अपनी विभिन्न व्युत्पत्तियों के साथ छोटे आकार की एलटीई/एलटीई-आर आधारित मोबाइल प्रणालियां	40
16.	ग्रामीण एवं आपदा संचार, मैक्रो एवं माइक्रो ईनोडबी, स्मॉल सेलों, ईपीसी, एनआईबी-आरएएन बीबीयू और आरआरएच, एलटीई/एलटीई- आर/4.5जी/5जी आधारित ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम प्रणालियां (ईनोडबी, जीएनबी, ईपीसी आदि) सहित अपनी विभिन्न व्युत्पत्तियों के साथ एलटीई/एलटीआर आधारित मोबाइल प्रणालियां	35
17.	वाई-फाई आधारित ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम प्रणालियां (अभिगम बिंदु, एग्ज़िशन ब्लॉक, कोर ब्लॉक सहित), एकीकृत ब्रॉडबैंड प्रणालियां	35

18	माइक्रोवेव रेडियो प्रणाली (आईपी/हाइब्रिड), मोबाइल फ्रंट हॉल वीबीयू और आरआरएच (सीपीआरआई, ईसीपीआरआई, फलेक्सई, आरओई, एनजीएफआई)	35
19	सॉफ्टवेयर डिफाइनड रेडियो, कॉग्निटिव रेडियो प्रणालियां	35
20	पुनरावर्तक (आरएफ/आरएफ-ओवर-ऑप्टिकल), आईबीएस, और संवितरित एंटीना प्रणाली	40
21	उपग्रह आधारित प्रणालियां-हब्स, वीसैट आपदा संचार प्रणाली आदि	25
22	कोपर अभिगम प्रणालियां (डीएसएल/डीएसएलएएम), हाई-स्पीड एक्सडीएसएल (जी. फास्ट)	35
23	अपनी विभिन्न व्युत्पत्तियों सहित नेटवर्क प्रबंधन प्रणालियां (एनएमएस)	50
24	परिधि सुरक्षा प्रणालियों सहित सुरक्षा एवं निगरानी संचार प्रणालियां (वीडियो एवं सेंसर आधारित)	30
25	ऑप्टिकल फाइबर	शून्य
26	ऑप्टिकल फाइबर केवल	शून्य
27	टेलीकॉम पॉवर सिस्टम (सोलर पॉवर सहित)	30
28	टेलीकॉम बैटरीज़ (लीड एसिड एवं लि. ऑयन)	30
29	आईपी ऑडियो फोन/आईपी वीडियो फोन/एनालॉग एडाप्टर	15
30	एसडीएन सॉफ्टवेयर नियंत्रक, एनवीएफ और सीएनएफ सॉफ्टवेयर	15
31	टेलीकॉम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम डाटा केंद्र	20
32	वॉकी-टॉकी एवं मोबाइल रेडियो सहित 2वे एनालॉग/डिजिटल रेडियो	30
33	वॉकी-टॉकी सहित 2वे एनालॉग/डिजिटल रेडियो की बैटरीज़	30
34	फाइबर निगरानी प्रणाली	35
35	एम2एम/आईओटी उप प्रणालियां	35
36	दूरसंचार सेवाएं/कार्य	शून्य

प्रपत्र-1

दूरसंचार उत्पाद, सेवाओं अथवा कार्यों के लिए घरेलू सामग्री (एलसी) के बारे में स्व-प्रमाणपत्र प्राप्त करने संबंधी प्रारूप दिनांक:

मैं.....सुपुत्र, सुपुत्री, पत्नी श्री, निवासी एतद्वारा इस बात की विधिपूर्वक पुष्टि करता/करती हूँ और निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ कि:

मैं दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की दिनांक की अधिसूचना सं. द्वारा जारी की गई निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करूंगा/करूंगी।

मेरे पूरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार एतद्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पूर्णतः सही है और मैं घरेलू सामग्री का आंकलन करने के उद्देश्य से अधिप्रापण संस्था अथवा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष संगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ।

मैंने उक्त दूरसंचार उत्पाद/सेवाओं/कार्यों का गठन करने से संबंधित 'इनपुट' के लिए घरेलू सामग्री का सत्यापन किया है और इसमें किए गए दावों की सत्यता के लिए मैं जिम्मेदार हूँ।

यदि उल्लिखित दूरसंचार उत्पाद/सेवाओं/कार्यों की घरेलू सामग्री से संबंधित कार्यकलाप गलत पाए जाते हैं और यह दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित किए गए प्राधिकरण के आकलन के आधार पर निर्धारित किए गए घरेलू सामग्री संबंधी

मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और इसके लिए सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) के खंड 9 (च) के तहत मैं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

मैं 2 वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के रिकार्ड में घरेलू सामग्री संबंधी अपने दावों के बारे में सभी सूचना का रख-रखाव करूँगा/करूँगी और किसी भी सांविधिक प्राधिकारी को सत्यापन हेतु इस सूचना को उपलब्ध करवाऊँगा/करवाऊँगी।

- i. घरेलू आपूर्तिकर्ता का नाम और ब्यौरा (पंजीकृत कार्यालय, विनिर्माण यूनिट का स्थान, विधिक कंपनी की प्रकृति)
- ii. इस प्रमाणपत्र को जारी करने की तिथि
- iii. दूरसंचार उत्पाद/सेवाओं/कार्यों का ब्यौरा जिनके लिए प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।
- iv. अधिप्रापण एजेंसी जिन्हें प्रमाणपत्र दिया गया है।
- v. दावा की गई घरेलू सामग्री की प्रतिशतता
- vi. विनिर्माता की यूनिट का नाम और फोन नम्बर
- vii. उत्पाद का विक्रय मूल्य
- viii. उत्पाद की फैक्ट्री कीमत
- ix. माल, बीमा और हैंडलिंग
- x. सामग्री का कुल बिल
- xi. दूरसंचार उत्पाद/सेवाओं/कार्यों के विनिर्माण हेतु उपयोग किए जा रहे इनपुट की सूची और कुल लागत मूल्य
- xii. उन इनपुट की सूची और कुल लागत जिन्हें घरेलू रूप से प्राप्त किया जाता है। इनपुट के 'इन-हाऊस' नहीं होने की स्थिति में कृपया घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त घरेलू सामग्री संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न करें।
- xiii. उन इनपुट की सूची और लागत जिन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आयात किया जाता है।

.....(फर्म/कंपनी का नाम) के लिए और की ओर से
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत)

< नाम, पदनाम और फोन नं. तथा तारीख लिखें >

अधिसूचना में प्रयुक्त परिवर्णी शब्दों की सूची

क्र.सं.	परिवर्णी शब्द	शब्द का विस्तृत स्वरूप
1.	2/3/4/4.5/5जी	सेकेंड/थर्ड/फोर्थ/4.5/फिफथ जेनरेशन
2.	बीबीयू	बेस बैंड यूनिट
3.	बीआईएस	ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड
4.	बीटीएस	बेस ट्रांसीवर स्टेशन
5.	सी-डॉट	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स
6.	सीएनएफ	कंटेनर/क्लॉउड नेटवर्क फंक्शन
7.	सीपीई	कस्टमर प्रेमिस इक्यूपमेंट
8.	सीपीआरआई	कॉमन पब्लिक रेडिया इंटरफेस
9.	सी-रैन	क्लॉउड/सेंट्रलाइज्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क
10.	सीएस	केन्द्रीय योजना
11.	सीएसएस	सेंट्रल सेक्टर स्कीम

12.	सीडब्ल्यूडीएम	कोर्स वेबलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग
13.	डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग
14.	डीओटी	दूरसंचार विभाग
15.	डीएसएल	डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
16.	डीएसएलएम	डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर
17.	डीडब्ल्यूडीएम	डेंस वेबलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग
18.	ई-सीपीआरआई	ई-कॉमन पब्लिक रेडियो इंटर फेस
19.	ई-नोड बी	ईवॉल्व्ड नोड बी
20.	ईपीसी	ईवॉल्व्ड पॉकेट कोर
21.	फ्लैक्स ई	फ्लेक्सिबल इथरनेट
22.	जी.फेट	आईटीयू-टी जी सीरिज रिकमेन्डेशन फॉर फास्ट एक्सेस टू सब्सक्राइबर टर्मिनल
23.	जीएनबी	नेक्सट जेनरेशन नोड बी
24.	जीपीओएन	गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क
25.	जीआर	जेनरिक रिक्वायरमेंट
26.	जीएसएम	ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल
27.	आईबीएस	इंटीग्रेटेड बिल्डिंग सिस्टम
28.	आईसी	इंटीग्रेटेड चिप
29.	आईएमएस	आईपी मल्टीमीडिया सबसिस्टम
30.	आईओटी	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
31.	आईपी	इंटरनेट प्रोटोकॉल
32.	आईपीआर	इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट
33.	आईआर	इंटरफेस रिक्वायरमेंट
34.	एल-2	लेयर टू
35.	एल-3	लेयर थ्री
36.	एल-सी	लोकल कंटेन
37.	ली-ऑयन	लिथियम- ऑयन
38.	एलटीई	लांग टर्म इवोल्यूसन
39.	एलटीई-आर	लांग टर्म इवोल्यूसन-रेल
40.	एम 2 एम	मशीन टू मशीन
41.	एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
42.	एमपीएलएस-टीपी	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग ट्रांसपोर्ट फाईल
43.	एमयूएक्स	मल्टीप्लेक्सर
44.	एनएफवी	नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन
45.	एनजीएफआई	नेक्सट जेनरेशन फ्रंटहॉल इंटरफेस
46.	एनजी-पीओएन 2	नेक्सट जेनरेशन गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क 2
47.	एनआईवी	नेटवर्क इन बॉक्स

48.	एनएमएस	नेटवर्क प्रबंधन सॉफ्टवेयर
49.	एनवीएफ	नेटवर्क वर्चुअल फंक्शन
50.	ओएडीएम	ऑप्टिकल ऐड-ड्रॉप मल्टीपलेक्सर
51.	ओएलटी	ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल
52.	ओएनटी	ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल
53.	ओटीएन	ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क
54.	पीएबीएक्स	प्राइवेट ऑटो ब्रांच एक्सचेंज
55.	पीबीएक्स	प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज
56.	पीसीबी	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड
57.	पीडीएच	प्लेसियोक्रोनस डिजिटल हाइरार्की
58.	पीएमए	प्रिफ्रेंशियल बाजार एक्सेस
59.	पीएमआई	मेक इन इंडिया के लिए प्राथमिकता
60.	पीपीपी-एमआईआई	सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता)
61.	पीटीएन	पैकेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क
62.	आर एंड डी	अनुसंधान और विकास
63.	आरएफ	रेडियो फ्रिक्वेंसी
64.	आरआरएच	रिमोट रेडियो हेड
65.	एसडीएच	स्निक्रोनस डिजिटल हाइरार्की
66.	एसडीएन	सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क
67.	एसटीक्यूसी	मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन
68.	टीडीएम	टाईम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग
69.	टीईसी	दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र
70.	टीईपीसी	दूरसंचार निर्यात प्रोत्साहन परिषद
71.	टीएसईसी	तकनीकी विशेषता मूल्यांकन प्रमाण-पत्र
72.	यूएसओएफ	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
73.	यूटीएम	एकीकृत खतरा प्रबंधन
74.	वीसैट	अतिलघु ऐपचर टर्मिनल
75.	वाई-फाई	वायरलेस फिडेलिटी
76.	एक्सडीएसएल	डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के विभिन्न प्रकार
77.	एक्सजीएस-पीओएन	10 गीगाबिट सिमेट्रीकल पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क

[नोट : हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों में कोई विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा]

अमित यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th August, 2018

Subject: Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017- Notification of Telecom Products, Services or Works - regarding.

Reference: (i) Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) Order No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017

(ii) Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 28.05.2018

No. 18-10/2017-IP The Government has issued Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 vide the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) Order No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017 which is further revised vide No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 28.05.2018 to encourage 'Make in India' and to promote manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhancing income and employment.

2. DIPP has identified Department of Telecommunications as the nodal Department for implementing the provisions related to procurement of goods, services or works related to the telecommunication sector.

3. Accordingly, in furtherance of the aforesaid Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 (hereinafter called as PPP-MII Order), and in supersession of notification of this Department's Policy for Preferential Market Access (PMA) dated 5th October 2012 and notification for value addition criterion dated 11th January 2017, the Department of Telecommunications, hereby notifies that the aforesaid Order shall be applicable for telecom products, services or works in full except as specified in this notification .

4. It is clarified that this notification shall be applicable to all Central Schemes (CS)/ Central Sector Schemes (CSS), for which procurement is made by States and Local Bodies, if that project or scheme is fully or partially funded by the Government of India including Universal Service Obligation Fund (USOF) projects.

5. In terms of clauses 2, 3 and 11 of PPP-MMI Order, the Department of Telecommunications has prepared a list of telecom products, services and works for their purchase preference from local suppliers for public procurement. The list of telecom products, services and works along with their Preference to Make in India (PMI) and their Local Content (LC) is in **Table-A**. The local supplier has to manufacture equipment from component level in India and also develop local vendors for procurement of raw materials, components and parts for increasing local content. The Department has identified conditions for the inputs to be qualified as Local Content and maximum ceiling for design as LC out of total LC which are in **Table-B** and **Table-C** respectively.

6. In terms of clauses 3(a) and 11 of the PPP-MII Order, it is declared that list of telecom product, services and works in **Table-A** have sufficient local capacity and local competition. It is hereby notified that the procuring entities will procure a minimum percentage as indicated under Preference to Make in India (PMI) of their telecom products, services or works requirements fulfilling Local Content (LC) criterion prescribed against each item as in **Table A**.

7. Clause 14 (a) of PPP-MII Order regarding powers to reduce the minimum local content below the prescribed level stands withdrawn from Ministries/Departments of Government of India and the Boards of Directors of Government companies or autonomous bodies. This power vests only with Standing Committee as constituted under clause 16 of PPP-MII Order.

8. In terms of clause 9(a) of PPP-MII Order, the local supplier at the time of tender, bidding or solicitation shall provide self-certification in **Form-1** specifying that the item offered meets the minimum local content and shall give details of the location(s) at which the local value addition is made.

9. Each identified products, services or works as in **Table-A** shall comply with the latest TEC GR/IR, if such GR/IR have been issued. The procuring entity may ensure that prior experience clause is not too restrictive to exclude all local suppliers of telecom product, services or works. All Procurement Officers may be required to certify compliance of this order before uploading tenders on Central Public Procurement Portal (CPPP). Disciplinary action will be taken against erring officers who insert restrictive tender conditions against local suppliers with a malafide intent or otherwise flout the provisions of PPP-MII Order.

10. For compliance of GR/IR or any national standard, certification from Indian bodies i.e. TEC/TSEC, STQC, BIS or any accredited lab by them, is a mandatory requirement to be submitted by the bidder. For any telecom product, service and work as in **Table-A**, the procuring entity should not specify to bidder to mandatory qualify any foreign eligibility specifications or certification(s) issued by any foreign testing/security lab(s).

11. In case a complaint is received by the procuring entity or the concerned Ministry/Department against the claim of a bidder regarding local content in telecom products, services or works or in case of a question whether an item being procured is a telecom product, service or work to be covered under the notification or any doubt in respect of telecom products, services or works, reference shall be made to Telecommunications Engineering Centre (TEC), Department of Telecommunications or technical auditor as accredited by the Telecommunications Engineering Centre (TEC), Department of Telecommunications), New Delhi.

12. In terms of clause 9(d) of PPP-MII Order, the following Committee is constituted for complaints and independent verification of self-declarations and auditor's/accountant's certificates on random basis:

i.	DDG(TC), TEC, New Delhi	-Chairperson
ii.	Director (Technical), C-DOT	- Member
iii.	Any other member(s) as co-opted by the chairperson	- Member
iv.	DG, TEPC	- Member
v.	Director (Finance), DoT	- Member
vi.	Director, TEC	- Convener

13. In case a complaint is received by the procuring entity or the concerned Ministry/Department against the claim of a bidder regarding Local Content (LC) in a locally supplied telecom product, services or works, the same shall be referred to the Committee as in para 12 above. The Committee should dispose of the complaint within 4 weeks, as far as possible, from the date of receipt of complaint along with all necessary documentation in support of Local Content claimed by the bidder.

14. In terms of clause 9 (e) of PPP-MII Order, it is hereby notified that there will be a minimum complaint fee of
 ▪ 2 Lakh or 1% of the value of the locally supplied telecom products, services or works being procured (subject to a maximum of
 ▪ 5 Lakh), whichever is higher, to be paid by Demand Draft or online, and to be deposited with Telecommunications Engineering Centre (TEC), as the case may be, or with any other third party testing laboratories or technical auditors accredited by TEC along with the complaint by the complainant. In case, the complaint is found to be incorrect, the complaint fee shall be forfeited. In case, the complaint is upheld in part or full, deposited fee of the complainant will be refunded without any interest.

15. The Department of Telecommunications shall be the nodal Department to monitor the implementation of this notification for telecom products, services and works. For vetting the restrictive and discriminating terms and conditions against domestic manufactures of telecom products, services and works, a Committee is constituted with the following composition:

- | | | |
|-------|-----------------------------|------------------|
| (i) | JS (T) | Chairperson |
| (ii) | DDG(IC) | Vice-Chairperson |
| (iii) | One representative of TEC | Member |
| (iv) | One representative of C-DOT | Member |
| (v) | Director (IP) | Member Secretary |

16. The Notification comes into effect immediately and shall remain valid till revised.

Table –A

List of Telecom Products, Services and Works with PMI and LC

Sl. No.	Telecom Products, Services and Works	Year		Year	
		2018-19		2019-20 onwards	
		PMI	LC	PMI	LC
1.	Encryption/UTM platforms (TDM and IP)	100	65	100	65
2.	IP/MPLS Core routers/ Edge/ Enterprise Router	50	55	50	60
3.	Managed Leased line Network equipment	50	55	50	60
4.	Ethernet Switches (L2 and L3), Hubs	50	55	50	60
5.	IP based Soft Switches, IMS, Unified Communication Systems	100	55	100	60
6.	Wireless/Wireline PABXs / IP PBX & / Media Gateways	100	65	100	65
7.	CPE (including Wi-Fi Access points and Routers, Media Converters), 2G/3G/4G/LTE Modems, Leased-line Modems, NFV/SDN CPE	100	45	100	50
8.	Set-Top Boxes	50	50	50	55
9.	SDH/Carrier-Ethernet/MPLS- TP/ Packet Optical Transport equipment/ PTN/ OTN systems	100	65	100	65
10.	DWDM/CWDM systems	50	55	50	60
11.	GPON / XGS-PON, NG-PON2 equipment (including ONT and OLT)	100	55	100	60
12.	Optical/SDH/PDH Cross Connects/ OTN Cross-connects and optical MUX,OADM	100	55	100	60
13.	Small size 2 G/3 G GSM based Base Station Systems, with its various derivatives including rural & disaster response, Macro & Micro BTS, Small Cells, NIB, C-RAN BBU and RRH	100	55	100	60
14.	2 G/3 G GSM based Base Station Systems, with its various derivatives including rural & disaster response, Macro & Micro BTS, Small Cells, NIB, C-RAN BBU and RRH	50	55	50	60
15.	Small Size LTE/LTE-R Based Mobile Systems, with its various derivatives including rural & disaster communications, Macro & Micro eNodeB, Small Cells, EPC, NIB C-RAN BBU and RRH ,LTE/LTE-R/4.5 G/ 5 G based broadband wireless access systems (eNodeB, gNB, EPC, etc.)	50	55	50	60
16.	LTE/LTE-R Based Mobile Systems, with its various derivatives including rural & disaster communications, Macro & Micro eNode B, Small Cells, EPC, NIB C-RAN BBU and RRH ,LTE/LTE-R/4.5 G/ 5 G based broadband wireless access systems (eNodeB, gNB, EPC, etc.)	50	45	50	50
17.	Wi-Fi based broadband wireless access systems (Including Access Point, Aggregation Block, Core Block), Integrated Broadband system	50	50	50	55
18.	Microwave Radio systems (IP/Hybrid), Mobile Front haul BBU and RRH (CPRI, eCPRI, FlexE, RoE, NGFI)	100	50	100	55
19.	Software Defined Radio, Cognitive Radio systems	50	50	50	55
20.	Repeaters (RF/RF-over-Optical), IBS, and Distributed Antenna system	100	55	100	60
21.	Satellite based systems –Hubs, VSAT Disaster Communication Systems etc.	50	35	50	40
22.	Copper access systems (DSL/DSLAM), high-speed xDSL (G.fast)	50	50	50	55
23.	Network Management systems (NMS) with its various derivatives	100	65	100	65
24.	Security and Surveillance Communication Systems (video and sensors based) including Perimeter Security Systems	100	35	100	40

25.	Optical Fiber	50	50	50	50
26.	Optical Fiber Cable	75	50	75	55
27.	Telecom Power System (Including Solar Power)	50	50	50	55
28.	Telecom Batteries (Lead Acid & Li-ion)	50	50	50	55
29.	IP audio phones / IP video Phones / Analog adaptor	50	35	50	40
30.	SDN Software Controllers, NVF and CNF software	50	50	50	55
31.	Telecom Cloud infrastructure, Telecom Data centers	50	35	50	40
32.	2 way Analog/Digital radio including Walkie-Talkie & Mobile Radio	50	50	50	55
33.	Batteries of 2 way Analog/Digital radio including Walkie-Talkie	50	40	50	45
34.	Fiber Monitoring System	50	50	50	55
35.	M2M/IOT Subsystems	50	50	50	55
36.	Telecom Services/Works	100	70	100	70

PMI =Minimum preference in % (of total quantity being procured) for Make in India Telecom Products, Services or Works as indicated against each financial year.

LC = Minimum Local Content as a percentage of total Bill of Material (cost of production) to qualify as Make in India Telecom Products, Services or Works as indicated against each financial year.

Table-B
Main Inputs /stages for manufacture of telecom products & conditions for the inputs to be qualified as Local Content

Main Inputs /stages for manufacture of telecom products *	Conditions for the inputs to be qualified as Local Content
(1) Design (a) Hardware design (b) Software Design & Development	The maximum Local Content (LC) percentage for Design which can be claimed by a Local manufacturer for the telecom products based on in-house/in country R&D costs incurred/amortized to create IPR in India are as per Table-C subject to the condition that: (a) The Intellectual Property Right (IPR) resides in India for Hardware Design, (b) The Copyright is in India for the software Design & Development.
(2) Components (a) Integrated chips (ICs) – Processor, Memory etc. (b) Active components – Transistors, Diodes etc. (c) Passive Components – Resistors, Capacitors, Inductors etc.	Manufactured in India
(3) PCBs (a) PCB Fabrication (b) PCB population using components	Manufactured in India
(4) Cables/Chassis etc. (a) Chassis (b) Cables (c) Racks (d) Heat sinks (e) Enclosures	Manufactured in India
(5) RF Components/Subsystem (a) Duplexers/Filters (b) Antenna	Manufactured in India
(6) Assembly/Integration/Testing [#]	The upper ceiling limit of Domestic Local Content (LC) for Assembly/ Integration/ Testing in respect of the telecom products listed in Table-C would be 10% of the total product Bill of Material (except S. No. 25,26 and 36)

* The product may include some/all of the input/stage as mentioned above. While calculating only those inputs/stages will be calculated which are involved in the manufacturing of these telecom products.

In case a system of its subsystem is merely assembled / integrated / tested, then actual Local Content shall be taken as up to 10% only of the cost of system / subsystem.

Table-C

Maximum ceiling for Design as Local Content out of total LC for Telecom Equipment

Sl. No.	Telecom equipment Description	Maximum ceiling for Design as Local Content out of total LC
1	Encryption/UTM platforms (TDM and IP)	55
2	IP/MPLS Core routers/ Edge/ Enterprise Router	40
3	Managed Leased line Network equipment	40
4	Ethernet Switches (L2 and L3), Hubs	40
5	IP based Soft Switches, IMS, Unified Communication Systems	40
6	Wireless/Wireline PABXs / IP PBX & / Media Gateways	45
7	CPE (including Wi-Fi Access points and Routers, Media Converters), 2G/3G/4G/LTE Modems, Leased-line Modems, NFV/SDN CPE	30
8	Set-Top Boxes	35
9	SDH/Carrier-Ethernet/MPLS- TP/ Packet Optical Transport equipment/ PTN/ OTN systems	45
10	DWDM/CWDM systems	40
11	GPON / XGS-PON, NG-PON2 equipment (including ONT and OLT)	40
12	Optical/SDH/PDH Cross Connects/ OTN Cross-connects and optical MUX,OADM	40
13	Small size 2 G/3 G GSM based Base Station Systems, with its various derivatives including rural & disaster response, Macro & Micro BTS, Small Cells, NIB, C-RAN BBU and RRH	40
14	2 G/3 G GSM based Base Station Systems, with its various derivatives including rural & disaster response, Macro & Micro BTS, Small Cells, NIB, C-RAN BBU and RRH	40
15	Small Size LTE/LTE-R Based Mobile Systems, with its various derivatives including rural & disaster communications, Macro & Micro eNode B, Small Cells, EPC, NIB C-RAN BBU and RRH ,LTE/LTE-R/4.5 G/ 5 G based broadband wireless access systems (eNodeB, gNB, EPC, etc.)	40
16	LTE/LTE-R Based Mobile Systems, with its various derivatives including rural & disaster communications, Macro & Micro eNode B, Small Cells, EPC, NIB C-RAN BBU and RRH ,LTE/LTE-R/4.5 G/ 5 G based broadband wireless access systems (eNodeB, gNB, EPC, etc.)	35
17	Wi-Fi based broadband wireless access systems (Including Access Point, Aggregation Block, Core Block), Integrated Broadband system	35
18	Microwave Radio systems (IP/Hybrid), Mobile Front haul BBU and RRH (CPRI, eCPRI, FlexE, RoE, NGFI)	35
19	Software Defined Radio, Cognitive Radio systems	35
20	Repeaters (RF/RF-over-Optical), IBS, and Distributed Antenna system	40
21	Satellite based systems –Hubs, VSAT Disaster Communication Systems etc.	25
22	Copper access systems (DSL/DSLAM), high-speed xDSL (G.fast)	35
23	Network Management systems (NMS) with its various derivatives	50
24	Security and Surveillance Communication Systems (video and sensors based) including Perimeter Security Systems	30
25	Optical Fiber	NIL
26	Optical Fiber Cable	NIL
27	Telecom Power System (Including Solar Power)	30
28	Telecom Batteries (Lead Acid & Li-ion)	30
29	IP audio phones / IP video Phones / Analog adaptor	15
30	SDN Software Controllers, NVF and CNF software	15
31	Cloud infrastructure, Data centers	20
32	2 way Analog/Digital radio including Walkie-Talkie & Mobile Radio	30
33	Batteries of 2 way Analog/Digital radio including Walkie-Talkie	30
34	Fiber Monitoring System	35
35	M2M/IOT Subsystems	35
36	Telecom Services/Works	NIL

Format for Self Certification regarding Local Content (LC) for Telecom Product, Services or Works**Date:**

_____ S/o, D/o, W/o _____, Resident of
 _____ do hereby solemnly affirm and declare as under:

That I agree to abide by the terms and conditions of Department of Telecommunications, Government of India issued vide Notification No: dated

That the information furnished hereinafter is correct to best of my knowledge and belief and I undertake to produce relevant records before the procuring entity or any other authority so nominated by the Department of Telecommunications, Government of India for the purpose of assessing the LC.

That the LC for all inputs which constitute the said Telecom Product/Services/Works has been verified by me and I am responsible for the correctness of the claims made therein.

That in the event of the LC of the Telecom Product/Services/Works mentioned herein is found to be incorrect and not meeting the prescribed LC norms, based on the assessment of an authority so nominated by the Department of Telecommunications, Government of India and I will be liable as under clause 9 (f) of **Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017**.

I agree to maintain all information regarding my claim for LC in the Company's record for a period of 2 years and shall make this available for verification to any statutory authorities.

- i. Name and details of the Local supplier (Registered Office, Manufacturing unit location, nature of legal entity)
- ii. Date on which this certificate is issued
- iii. Telecom Product/Services/Works for which the certificate is produced
- iv. Procuring agency to whom the certificate is furnished
- v. Percentage of LC claimed
- vi. Name and contact details of the unit of the manufacturer
- vii. Sale Price of the product
- viii. Ex-Factory Price of the productS
- ix. Freight, insurance and handling
- x. Total Bill of Material
- xi. List and total cost value of inputs used for manufacture of the Telecom Product/Services/Works
- xii. List and total cost of inputs which are locally sourced. Please attach LC certificates from local suppliers, if the input is not in-house.
- xiii. List and cost of inputs which are imported, directly or indirectly

For and on behalf of _____ **(Name of firm/entity)**

Authorized signatory (To be duly authorized by the Board of Directors)

<Insert Name, Designation and Contact No. and date>

List of Acronyms used in the notification

Sl No.	Acronyms	Expansion
1.	2/3/4/4.5/5 G	Second/Third/Fourth/4.5/Fifth Generation
2.	BBU	Base Band Unit
3.	BIS	Bureau of Indian Standard
4.	BTS	Base Transceiver Station
5.	C-DoT	Centre for Development of Telematics
6.	CNF	Container /Cloud Network Function
7.	CPE	Customer Premise Equipment
8.	CPRI	Common Public Radio Interface
9.	C-RAN	Cloud/Centralized Radio Access Network
10.	CS	Central Scheme
11.	CSS	Central Sector Scheme
12.	CWDM	Coarse Wavelength Division Multiplexing
13.	DIPP	Department of Industrial Policy and Promotion

14.	DoT	Department of Telecommunications
15.	DSL	Digital Subscriber Line
16.	DSLAM	Digital Subscriber Line Access Multiplexer
17.	DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing
18.	eCPRI	e- Common Public Radio Interface
19.	e-node B	Evolved node B
20.	EPC	Evolved Pocket Core
21.	FlexE	Flexible Ethernet
22.	G. fast	ITU-T G series recommendations for Fast Access to Subscriber Terminals
23.	gNB	Next Generation Node B
24.	GPON	Gigabit Passive Optical Network
25.	GR	Generic Requirements
26.	GSM	Global System for Mobile
27.	IBS	Integrated Building System
28.	IC	Integrated Chip
29.	IMS	IP Multimedia Subsystem
30.	IOT	Internet of Things
31.	IP	Internet Protocol
32.	IPR	Intellectual Property Right
33.	IR	Interface Requirement
34.	L-2	Layer Two
35.	L-3	Layer Three
36.	LC	Local Content
37.	Li-ion	Lithium-ion
38.	LTE	Long Term Evolution
39.	LTE-R	Long Term Evolution-Railway
40.	M2M	Machine to Machine
41.	MPLS	Multiprotocol Label Switching
42.	MPLS-TP	Multiprotocol Label Switching-Transport Profile
43.	MUX	Multiplexer
44.	NFV	Network Function Virtualization
45.	NGFI	Next Generation Fronthaul Interfaces
46.	NG-PON2	Next Generation Gigabit Passive Optical Network 2
47.	NIB	Network in Box
48.	NMS	Network Management Software
49.	NVF	Network Virtual Function
50.	OADM	Optical Add-Drop Multiplexer
51.	OLT	Optical Line Terminal
52.	ONT	Optical Network Terminal
53.	OTN	Optical Transport Network
54.	PABX	Private Auto Branch Exchange
55.	PBX	Private Branch Exchange
56.	PCB	Printed Circuit Board
57.	PDH	Plesiochronous Digital Hierarchy
58.	PMA	Preferential Market Access
59.	PMI	Preference for Make in India
60.	PPP-MII	Public Procurement (Preference to Make in India)
61.	PTN	Packet Transport Network
62.	R&D	Research and Development
63.	RF	Radio Frequency
64.	RRH	Remote Radio Head
65.	SDH	Synchronous Digital Hierarchy

66.	SDN	Software Defined Network
67.	STQC	Standardisation Testing and Quality Certification
68.	TDM	Time Division Multiplexing
69.	TEC	Telecommunication Engineering Centre
70.	TEPC	Telecom Export Promotion Council
71.	TSEC	Technical Specification Evaluation Certificate
72.	USOF	Universal Service Obligation Fund
73.	UTM	Unified Threat Management
74.	VSAT	Very Small Aperture Terminal
75.	Wi-Fi	Wireless Fidelity
76.	XDSL	different variations of Digital Subscriber Line
77.	XGS-PON	10 Gigabit Symmetrical Passive Optical Network

AMIT YADAV, Jt. Secy.